

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2690(अ).— केंद्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70B की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय कंप्यूटर आपात गैर-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संसार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 केंद्रीय सरकार कार्यालय कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकृत्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 9(16)/2009-ईसी]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2690(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby appoints the Indian Computer Emergency Response Team, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi, as the agency for the purposes of the said Act.

[सं. 9(16)/2009-ईसी]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.